अध्याय XI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

11.1 केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्य

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की लेखापरीक्षा में कई व्यवस्थागत कमियां पाई गई जैसे कि प्रमाणन प्रक्रिया में अस्पष्टीकृत विलंब जो समिति द्वारा जांच के लिए फिल्मों का क्रम बदलना, प्रमाणित फिल्मों को ए से यू.ए./ए. श्रेणी इत्यादि में परिवर्तित करना इत्यादि। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे साक्ष्य भी आए जो कि फिल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी. के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमी भी दर्शाते हैं जिससे कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को एक भी फिल्म के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का जोखिम उत्पन्न होता है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (के.फि.प्र.बो.) सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1953 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को विनियमित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय था। यह फिल्मों, टेलिविजन कार्यक्रमों, टेलिविजन विज्ञापन को प्रमाणपत्र प्रदान करता है एवं भारत में फिल्मों की प्रदर्शनी, बिक्री या किराए पर लिए जाने के लिए प्रकाशन करता है। भारत में फिल्में सार्वजनिक रुप से केवल तभी प्रदर्शित की जा सकती हैं जब उन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है।

अधिनियम के अंतर्गत गठित बोर्ड में गैर-अधिकारिक सदस्य एवं अध्यक्ष (इनमें सभी केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं) शामिल हैं तथा मुम्बई में मुख्यालयों के साथ कार्य करता है। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय है, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलौर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक एवं गुवाहटी सब में एक हैं। फिल्मों की जांच में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता सलाहकार पैनलों द्वारा की जाती है। पैनलों के सदस्यों को एक समय पर 2 वर्षों की अवधि के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का चयन करने केन्द्र सरकार द्वारा चयनित किया जाता है।

फिल्मों के प्रमाणीकरण हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं की नमूना जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी जिसमें आंतरिक नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अंतरालों की ओर इंगित करते हुए बहुत से मुद्दे पाए गए थे जिस का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमाणपत्रों को जारी करने में सामयिकता

सिनेमाटोग्राफ नियमावली का नियम 41, में निर्धारित है कि यदि आवेदनकर्ता फिल्म के पुनरीक्षण समिति द्वारा देखे जाने का आवेदन नहीं करता तब **तालिका 1.1** में उल्लिखित 68 दिनों के बराबर की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के लिए भिन्न समय सीमाएं निर्धारित है।

तालिका 1.1

प्रक्रिया	समय सीमा
आवेदन की समीक्षा	7 दिन
जांच समिति (जां.स.)* का गठन	15 दिन
अध्यक्ष को जां.सं रिपोर्ट प्रेषित करना	10 दिन
आवेदनकर्ता को आदेश के बारे में बताना	3 दिन
निर्माता द्वारा कटों को प्रस्तुत करना	14 दिन
कटों की जांच	14 दिन
प्रमाणपत्र को जारी करना	5 दिन

* (सिनेमाटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियमावली 1983 के नियम 22 एवं 24 के अनुसार- लघु फिल्म के मामले में एक जांच समिति में सलाहकार पैनल का एक सदस्य और जांच अधिकारी (इनमें से एक महिला होगी) शामिल होंगे जबकि दीर्घ फिल्म के मामले में इसमें सलाहकार समिति के चार सदस्य और एक जांच अधिकारी (इनमें से दो महिला होंगी) शामिल होंगे। पुनरीक्षण समिति में एक अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड या सलाहकार पैनल के नौ सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, एक फिल्म के लिए जांच समिति का कोई सदस्य पुनरीक्षण समिति का हिस्सा नहीं होगा)।

11.1.2 इसके अतिरिक्त, सभी, फिल्मों को प्रथम आओ पहले पाओ के आधार पर प्रमाणीकृत करना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता से लिखित आवेदन

प्राप्त हुआ है तो क्षेत्रीय अधिकारी (क्षे.अ.) के पास फिल्म की जांच के अनुक्रम को बदलने का विवेकाधिकार है और क्षे.अ. को शीघ्र जांच की आवश्यकता लगेगी तो वह उसका विधिवत रिकॉर्ड रखेगा।

1 अप्रैल 2013 से 175 अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ -

- क्रम से पूर्व की 57 फिल्मों (32.57 *प्रतिशत*) में, विशेष विचार हेतु आवेदन करते हुए आवेदनकर्ता से पत्र या आवेदन को स्वीकार करने वाली यो.अ. की तर्कसंगतता अभिलेखों में नहीं पायी गई थी (अनुबंध क)
- स्पष्ट यू.यू.ए. या स्पष्ट ए. प्रमाणीकरण 135 फिल्मों के लिए किया गया था। हालांकि, प्रमाणीकरण प्रक्रिया के समापन के बावजूद, 49 फिल्मों (36 प्रतिशत) में प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए लिया गया समय 3 और 491 दिनों के बीच था तथा 26 दिनों का औसत समय लगा था। जां.स. द्वारा स्पष्ट प्रमाणपत्र की स्वीकृति के पश्चात् विलंब हेतु कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

इसके अतिरिक्त, 2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान 31 मामलों में, फिल्म को प्रमाणीकृत करने में लिया गया समय 75 दिनों से लेकर 491 दिनों तथा औसत तक 169 दिनों तक था। विलंब हेतु कारण फाइल में रिकॉर्ड नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने जांच समिति द्वारा जांच हेतु फिल्मों के क्रम को बदलने के लिए कारणों को रिकॉर्ड न करने के लिए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। जांच समिति की अनुमति के पश्चात् प्रमाणपत्र को जारी करने में विलंब के संदर्भ में, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि कुछ मामलों में जहां आवेदनकर्ता जांच समिति के निर्णय से सहमत नहीं हुए, उन्होंने पुनरीक्षण समिति को अपील की जिसकी अनुशंसा से प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। औपचारिकताओं अर्थात् सी.बी.एफ.सी. द्वारा लगाए गए कटों की स्वीकृति, प्रस्तुतीकरण या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्रमाणीकरण और अधिक विलंबित हो और ऐसे विलंब का कारण सी.बी.एफ.सी. नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उन मामलों में जहां स्पष्ट यू/यू.ए./ए. प्रमाणपत्र जां.स. द्वारा उन मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को पहले से ही स्वीकृत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्माता को क्रम तोड़ने की अनुमति देने के लिए कारणों को रिकॉर्ड न करने या प्रमाणपत्र को जारी न करने में विलंब के कारण नियमों की गैर-अनुपालना और बोर्ड के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी थी।

मामले का अध्ययन

1/1/2009 से 31/12/2009 की अवधि के लिए श्रीमती वी.के. चावाक, अध्यक्ष के सचिव की 2012 में जांच की गई थी और नवंबर 2012 में सतर्कता अधिकारी द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट के अनुसार नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा पक्षपात एवं दस्तावेजों को बनाने के लिए दोषी माना था। उन्हें ऐसी 2 फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दोषी माना गया था जिन्हें जा.स. द्वारा पहले से रद्द कर दिया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सतर्कता स्कंध ने सलाह दी (जून 2014) कि चूंकि आरोप संगीन थे इसलिए सी.बी.एफ.सी. अधिकारी को **सी.सी.एस.(सी.सी.ए.) नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत बड़ी दंडात्मक कार्यवाही हेतु मुकदमा चलाया जाना चाहिए** क्योंकि श्रीमती चावक से संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण सी.बी.एफ.सी के पास ही है। मंत्रालय के सतर्कता स्कंध की सलाह पर निर्णय अप्रैल 2015 तक नहीं लिया गया था और लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जारी करने के पश्चात् ही अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शुरु कर दी गई है तथा अधिकारी को 12-10-2015 से निलंबित कर दिया गया था। यहां पर यह नोट करना उचित है कि इस विसंगति को प्रणाली द्वारा पता नहीं चल पाया था परंतु सी.वी.सी. द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर था।

11.1.3 फिल्म प्रमाणीकरण प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 4 एवं 5क में फिल्मों की जांच का प्रावधान है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी फिल्म को प्रदर्शित करना चाहता है उसे उससे संबंधित प्रमाणपत्र हेतु बोर्ड के समक्ष आवेदनपत्र निर्धारित रुप से प्रस्तुत करना होगा,

और निर्धारित रुप से फिल्म का निरीक्षण करने या जांच करने के पश्चात् बोर्ड जैसा भी लगे वैसे यू., यू/ए, ए एवं एस. प्रमाणपत्र आवेदनकर्ता को प्रदान कर सकता है।

कथित अधिनियम की धारा 5क की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र संपूर्ण भारत में दस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

फिल्मों के "ए" से "यू.ए"/"यू" में परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-15 के दौरान सी.बी.एफ.सी. ने 172 "ए" वर्ग की प्रमाणित फिल्मों को "यूए" वर्ग फिल्मों तथा "यूए" वर्ग की 166 फिल्मों को "यू" वर्ग फिल्मों को बिना किसी सहायक कानून या अधिनियम में प्रावधान को परिवर्तित कर दिया था। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं जो कि पूर्व में प्रमाणित फिल्मों के पुर्न प्रमाणीकरण को निषेध करता है। सक्षम प्रमाणीकरण प्राधिकरण के रुप में सी.बी.एफ.सी. द्वारा अनुसरण किया गया अभ्यास सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के नियम 21, 33 और 35 के अनुसार दिखता है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। न तो मंत्रालय द्वारा बताया गया अधिनियम और न ही नियम 21,33 और 35 पहले से प्रमाणित फिल्मों को पुर्नप्रमाणित करने के लिए सी.बी.एफ.सी. को सशक्त करते हैं और इस उद्देश्य के लिए सी.बी.एफ.सी द्वारा कोई मानक एवं प्रक्रिया का निर्माण नहीं किया गया था जो कि सी.बी.एफ.सी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किए बिना परिवर्तन के कार्य को स्वनिर्णयगत एवं गैर-पारदर्शी परिपाटी प्रस्तुत करता है।

11.1.4 आयातित फिल्मों का प्रमाणीकरण

सिनेमाटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियमावली, 1983 का नियम 21 प्रावधान करता है कि सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु फिल्म को प्रमाणित करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र को द्वितीय अनुसूची में निर्धारित आधार पर निर्धारित फार्म में लिखित में देना होगा। नियम-21 का उप-नियम 3(घ) आगे प्रावधान करता है कि यदि फिल्म के निर्माता या स्वत्वधिकारी से अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करता है, तो फिल्म के निर्माता या

स्वत्वधिकारी से अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित उचित कीमत के स्टांप पेपर पर लिखित रुप में प्राधिकरण देना होगा। नियम-21 का उप-नियम 6 परिकल्पित करता है कि उस फिल्म के मामले में जो कि आयातित है, आवेदनकर्त्ता को कस्टम क्लीयरेंस परमिट के साथ आयातित लाइसेंस की मूल या प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत करना होगा और ऐसी फिल्म की भारत में सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु प्रमाणीकरण के लिए बोर्ड द्वारा तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक बोर्ड संतुष्ट नहीं होता कि फिल्म को सरकार की आयात विधि के अनुसार वैध रुप से आयातित किया गया है। सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए प्रत्येक संशोधित संस्करण या फिल्म के छोटे संस्करण को नई फिल्म के रुप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि:-

- सी.बी.एफ.सी ने आयातित लाइसेंस की प्रमाणित प्रति और कस्टम क्लीयरेंस परमिट को प्राप्त किए बिना भारत में आयातित विडियो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु आवेदनकर्त्ताओं को प्रमाणपत्र जारी किए थे।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.बी.एफ.सी ने ऐसी फिल्मों को स्वीकार किया था जिन्हें पहले से ही प्रमाणपत्र दे दिए गए थे (अप्रैल 2015)। सी.बी.एफ.सी यह सत्यापित नहीं कर पाई कि यदि फिल्म पहले उनके द्वारा या किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमाणित की गई थी और इसलिए एक ही फिल्म के लिए दो या उससे अधिक प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने की संभावना थी।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2016) कि पहले यह ध्यान रखने के लिए सुविधा नहीं थी कि फिल्म प्रमाणित है कि नहीं परंतु 11$^{वीं}$ पंचवर्षीय योजना में कुछ रिकॉर्डों के डिजटलीकरण के कारण वर्तमान में वह यह पता लगा सकते हैं कि आवेदन के समय पर फिल्म प्रमाणित थी या नहीं और ऐसे मामलों को अब वह अस्वीकार कर देते हैं। मंत्रालय का उत्तर मंत्रालय द्वारा नकली प्रमाणपत्रों को जारी करने की संभावना को दूर करने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी पर प्रकाश डालता है। प्रमाणित आयात लाइसेंस तथा कस्टम क्लीयरेंस

परमिटों के साथ मूल अधिकारों के अंतरण की जांच न करने के कारणवश मूल कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को उसी फिल्म के लिए जाली प्रमाणपत्र जारी कर दिए जा सकते हैं।

11.1.5 प्रमाणपत्रों की वैधता

सिनेमाटोग्राफ नियमावली 1983 के नियम 29 के अनुसार, फिल्म से संबंधित धारा 5क की उप-धारा(1) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। जिसमें फिल्म प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर इस संबंध में किए गए आवेदन पर अनुसूची II में, जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रारुपों में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है तथा इस पर तभी कार्रवाई की जाएगी यदि वह मूल आवेदन था; प्रावधान किया कि यदि पूर्व में जारी किए गए रुप में प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु आवेदन दिया गया है तो अध्यक्ष की पूर्व संस्वीकृति से क्षेत्रीय अधिकारी फिल्म की जांच कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने स्वत्वधिकारियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर केवल 10 वर्षों के लिए वैध प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण के उदाहरण पाए थे। यह पाया गया था कि ऐसी फिल्मों की न तो जांच संचालित की गई थी और न ही जांच के साथ अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। साथ ही, फिल्म के मूल अधिकारों की जांच नहीं की गई थी और फिल्म की अवधि का ध्यान रखे बिना ही ₹1020/- की समान दर लगाई गई थी।

अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के नियम 29 के प्रावधानों के अनुसार सी.बी.एफ.सी. द्वारा प्रमाणपत्र का पुनर्वैधीकरण किया गया था। हालांकि, सू. एवं प्र. मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, (सितंबर 1984) केन्द्र सरकार ने उन सभी फिल्मों को छूट दे दी थी जिनका प्रमाणीकरण 10 वर्षों की वैधता से बोर्ड द्वारा किया गया या प्रदान किया गया हो तथा ऐसे प्रमाणपत्रों की वैधता इसलिए सतत थी।

यह उत्तर मंत्रालय की विफलता पर प्रकाश डालता है कि यद्यपि फिल्म प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी सी.बी.एफ.सी. प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु फिल्मों को स्वीकार करता था तथा उन पर शुल्क भी प्रभारित करता था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, पुनर्वैधीकरण

की प्रक्रिया की समीक्षा की गई थी तथा यह बताया गया कि इससे हटा दिया गया था।

निष्कर्ष

प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, सी.बी.एफ.सी. ने आवेदकों को प्रमाणपत्रों को जारी करने में असाधारण रूप से अधिक समय लिया। इसने समिति द्वारा दिए गए आदेशों को बिना कारण बताए बदल दिया तथा अधिनियम में बिना किसी प्रावधान के बावजूद प्रमाणित फिल्मों को 'ए' से यू.ए./यू. में बदल दिया। सी.बी.एफ.सी. ने, आवश्यक दस्तावेज तथा अनुमति प्राप्त किए बिना भी, आवेदकों को भारत में आयातीत वीडियो फिल्म के लोक प्रदर्शनी की अनुमति दी।

11.2 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियाँ

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एस.आर.एफ.टी.आई.) अपनी स्थापना के 20 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्यों में उल्लिखित विभिन्न पाठयक्रमों को आरंभ करने में असफल रहा। संस्थान की गतिविधियाँ पाठ्यक्रम की पूरा होने, में देरी, रिक्त सीट, अल्प शिक्षण घंटे और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में अंतर ने क्षतिग्रस्त कर दिया है।

11.2.1 प्रस्तावना

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एस.आर.एफ.टी.आई) की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) के अंतर्गत एक पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में 1995 में हुई और यह पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। एस.आर.एफ.टी.आई. के मुख्य उद्देश्यों में पूर्वस्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन और फिल्म तथा टेलीविजन पर अनुसंधान शामिल है। भारत सरकार ने एस.आर.एफ.टी.आई. के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी एक सर्वोच्च निकाय, सोसाइटी का गठन किया। सोसाइटी शासी परिषद (जी सी) द्वारा एस.आर.एफ.टी.आई. चलाती है। अध्यक्ष, जो जी सी के सभापति हैं,

सोसाइटी के प्रमुख हैं। निदेशक एस.आर.एफ.टी.आई का कार्यकारी प्रधान होता है।

एस.आर.एफ.टी.आई. की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम-1971 की धारा 14 (I) के अंतर्गत की जाती है। 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु, एस.आर.एफ.टी.आई. के शैक्षणिक गतिविधियों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्ष की परवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

11.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.2.2.1 छात्रों का नामांकन

i. एस.आर.एफ.टी.आई. पाँच विषयों में तीन साल की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन करता है। इसने पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2010-13 और 2014-17 में नामांकन नहीं किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने पुराने पाठ्यक्रमों को जारी रखने के बजाय पाठ्यक्रम पुनरीक्षण होने तक दो पूर्ण बैच में नामांकन नहीं करने का निर्णय लिया। दो वर्ष तक छात्रों का नामांकन नहीं होने के कारण ट्यूशन शुल्क, छात्रावास किराया, इंटरनेट शुल्क और पुस्तकालय शुल्क के रूप में एस.आर.एफ.टी.आई. को ₹1.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। साथ ही, छात्र, सिनेमा और टेलीविजन हेतु फिल्म बनाने का कला और शिल्प सीखने के मौके से वंचित रह गए।

ii. 2011-14, 2012-15 और 2013-16 सत्र से संबंधित विदेशी कोटा के अंतर्गत 13 रिक्त सीटें थीं। परंतु एस.आर.एफ.टी.आई. ने रिक्त सीटों के मद्देनजर किसी भी भारतीय छात्र का नामांकन करने पर विचार नहीं किया यद्यपि इसने रिक्त विदेशी कोटा के स्थान पर 2008-11 और 2009-12 के सत्र में भारतीय छात्रों को नामांकन किया था। इस तरह, 13 भारतीय छात्रों का नामांकन नहीं होने से संपदा का न्यून उपयोग के साथ साथ छात्र शुल्क के रूप में ₹18.04 लाख की राजस्व हानि हुई।

iii. 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान आरक्षित वर्ग[1] के अंतर्गत भी 14 खाली सीटें थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.आर.एफ.टी.आई. विद्यार्थियों के नामांकन के लिए तीन स्तर[2] का अनुसरण किया और लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए बुलावा भेजा। अंतिम मेरिट सूची सभी स्तरों के मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बनाई गई थी। वर्ष 2013-14 के लिए प्रवेश से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 566 उत्तीर्ण छात्रों में से एस.आर.एफ.टी.आई. ने केवल 142 विद्यार्थियों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए बुलावा भेजा लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग की चार सीटें खाली रह गई। रिक्तियों को भरने के लिए, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में किए जाने वाले द्वितीय/तृतीय मेरिट सूची निकालने की परिपाटी पर एस.आर.एफ.टी.आई. ने विचार नहीं किया।

एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि उचित और समकालीन विषयों को पढ़ाने का ध्यान रखते हुए इन्होंने नई पाठ्यक्रम के युक्तिकरण को प्राथमिकता दी। एस.आर.एफ.टी.आई ने ये भी कहा कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण विदेशी छात्रों की रिक्त सीटों को भारतीय छात्रों से भरा नहीं जा सका। उन्होंने आगे बताया कि अधिक संख्या में उन्मुखी पाठ्यक्रम में छात्रों के शामिल होने से छात्रों के आउट पुट गुणवत्ता और मूल्यांकन खतरे में पड़ सकता था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नयी बैच के आरंभ होने से पहले एस.आर.एफ.टी.आई. नया पाठ्यक्रम तैयार करने में असफल रहा। वर्ष 2011 में छात्रों की प्रवेश क्षमता प्रत्येक अध्ययन के विषय में 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था जो यह इंगित करता है कि विदेशी छात्रों के रिक्त सीटें बुनियादी ढ़ॉचे के अभाव में भरे नहीं जा सके, तर्कसंगत नहीं है। उन्मुखी कार्यक्रम हेतु अधिक छात्रों के चयन को मना करने का एस.आर.एफ.टी.आई. का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि छात्रों के प्रवेश क्षमता के विरूद्ध रिक्तियाँ थी।

---

[1] अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग

[2] लिखित, उन्मुखी पाठ्यक्रम और साक्षात्कार

11.2.2.2 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन

टेलीविजन और फिल्म में पूर्व स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाना एस.आर.एफ.टी.आई. के उद्देश्य में शामिल है लेकिन एस.आर.एफ.टी.आई. ने कहा कि वह इन पाठ्यक्रमों को बुनियादी ढाँचे और जन शक्ति के अभाव में संचालन नहीं किया। फिल्म बनाने के पाँच विशेषज्ञता अध्ययन के विषय हेतु एस.आर.एफ.टी.आई. केवल तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाती है जो निर्देशन और स्क्रीनप्ले लेखन, सिनेमाटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन, संपादन और फिल्म और टेलीविजन के लिए प्रोड्यूसिंग। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यवहारिक कक्षाएँ शामिल हैं और परियोजना में लघु/डिप्लोमा फिल्म बनाना शामिल है, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के रूप में एस.आर.एफ.टी.आई. ने कार्यशाला भी आयोजित की थी।

11.2.2.3 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में विलंब

पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की थी जिसमें विभिन्न स्तर थे यथा सामान्य अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन, लघु/प्रायोगिक फिल्म पर परियोजना और कार्यशाला। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. ने 2 से 6 वर्षों की देरी के बाद सभी छात्रों का मूल्यांकन पूरा किया। पाठ्यक्रम पूरा होने में कुल देरी की नीचे **तालिका-2** में दर्शाया गया है।

तालिका-2

बैच/शैक्षणिक वर्ष	पाठ्यक्रम आरंभ होने की तिथि	अंतिम मूल्यांकन की तिथि	पाठ्यक्रम अवधि के तीन वर्ष के बाद विलंब की अवधि (वर्ष एवं महीनों में)
तीसरा (2001-04)	अगस्त 2001	सितंबर 2010	6 वर्ष
चौथा (2002-05)	जून 2002	अक्तूबर 2010	5 वर्ष 3 महीना
पाँचवाँ (2003-06)	अगस्त 2003	फरवरी 2011	4 वर्ष 5 महीना
छठा (2005-08)	जून 2005	अप्रैल 2012	3 वर्ष 9 महीना
सातवाँ (2007-10)	अगस्त 2007	मई 2013	2 वर्ष 8 महीना
आठवाँ (2008-11)	नवम्बर 2008	मई 2014	2 वर्ष 5 महीना

पाठ्यक्रम में विलम्ब ने छात्रों के पेशेवर भविष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने (मई 2013) में पाठ्यक्रम पूरा होने के कारणों को बुनियादी ढाँचे चिकित्सा आधार पर विलंब और क्रू सदस्यों के बीच तालमेल का अभाव के रूप में पहचान किया। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. ने विलंब के कारणों को जानते हुए भी विलंब के कारणों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेखापरीक्षा ने विलंब के कारणों का विश्लेषण किया और निम्नांकित बातें नोट कीं:-

- सातवीं और आठवीं बैच के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चलता है कि विलंब द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में होता है।
- एस.आर.एफ.टी.आई. के दिशानिर्देश के अनुसार, शूटिंग लगातार 12 दिनों में पूरा करना था तथा तीसरे वर्ष में दो यूनिटों को साथ साथ एक स्लॉट में फिल्म शूट करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 फिल्मों की शूटिंग एक समय में एक ही की गयी। सातवीं बैच के केवल दो फिल्मों की शूटिंग साथ-साथ की गई। परिणामस्वरूप, सभी फिल्मों की शूटिंग पूरा करने में चार महीने से अधिक का समय लगा, यदि दिशानिर्देशों का पालन किया गया होता तो इसमें आधा समय लगा होता।
- प्रोडक्शन के बाद का कार्य सम्पादन और साउंड विभाग द्वारा क्रमश: निर्धारित 15 से 20 लगातार शिफ्ट में किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.आर.एफ.टी.आई. ने दस फिल्मों में से आठ फिल्म पूरा करने के लिए सातवें बैच में 193 दिन आठवें बैच में 359 दिन अतिरिक्त लिये। इस तरह प्रोडक्शन के बाद सातवें और आठवें बैच के लिए क्रमश छ: महीने और 11 महीने की देरी हुई।

एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसम्बर 2015) कि दसवाँ बैच सावधानीपूर्वक सुधारात्मक उपाय उठाये जाने के कारण तीन वर्ष छ: महीने में पूरा हो गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दसवां बैच जो 2011 में आरंभ हुआ था अभी भी अंतिम रूप से आकलन किया जाना है (दिसंबर 2015)।

11.2.2.4 कोई अनुसंधान नहीं किया गया

उद्देश्यों के अनुसार, एस.आर.एफ.टी.आई. को फिल्म एवं टेलीविजन में अनुसंधान आरंभ करना था लेकिन आज तक (अक्तूबर 2015) के अनुसंधान विभाग की स्थापना नहीं की गई। एस.आर.एफ.टी.आई. ने एक फिल्म अनुसंधान अधिकारी[3] को मई 2011 में नियुक्त किया लेकिन उनकी सेवा का उपयोग प्रकाशन, उत्सव, असाइनमेंट, फिल्म स्क्रीनिंग आदि के लिए किया गया और उनके द्वारा कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया। संस्थान ने उसके वेतन पर ₹24.61 लाख व्यय किए। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि अपर्याप्त बुनियादी सुविधा के कारण अनुसंधान कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। लेकिन तथ्य यह है कि एस.आर.एफ.टी.आई. ने बुनियादी सुविधा और निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना श्रम शक्ति को अनुसंधान गतिविधि हेतु नियुक्त कर लिया। इस तरह, एस.आर.एफ.टी.आई. द्वारा उद्देश्य का अनुचित योजना के कारण फिल्म और टेलीविजन अनुसंधान आरंभ करने का कार्य अधूरा रह गया।

11.3.3 पाठ्यक्रम आरंभ करने में विफलता

11.3.3.1 लघु अवधि का पाठ्यक्रम

उनके उद्देश्यों के अनुसार, एस.आर.एफ.टी.आई. को लघु अवधि/रिफ्रेशर्स सेवा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एफ.टी.आई.आई., पुणे पाँच नियमित लघु अवधि का पाठ्यक्रम चलाता था। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. को कोई नियमित लघु अवधि का पाठ्यक्रम चलाने के लिए नहीं कहा गया था। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया कि अपर्याप्त श्रमशक्ति और बुनियादी ढ़ाँचे के कारण लघु अवधि का पाठ्यक्रम चलाने से नियमित पीजी पाठ्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि शैक्षणिक काउंसिल ने निर्णय लिया (अगस्त 2012) कि ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार किया जाए। लेकिन एस.आर.एफ.टी.आई. ने इस मामले को

[3] श्री सौगात भट्टाचार्य 29 मार्च 2011 को

मंत्रालय के साथ आज तक नहीं उठाया (जनवरी 2016) इस तरह एस.आर.एफ.टी.आई. की ओर से प्रभावी कदम न उठाने के फलस्वरूप नियमित लघु अवधि पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं हो सका।

11.3.3.2 टेलिविजन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

टेलीविजन पर छः अध्ययन के विषयों में द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा देने हेतु एक उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए एस.आर.एफ.टी.आई. ने एमआईबी से ₹23.66 करोड़ की एकमुश्त राशि की मांग की (अप्रैल 2012)। एस.आर.एफ.टी.आई. ने केंद्र को पूरा करने का अनुमानित तिथि 31 मार्च 2015 रखा। एमआईबी ने मात्र ₹8.64 करोड़ की एक मुश्त राशि के साथ प्रस्ताव को संस्वीकृति (नवंबर 2012) प्रदान कर दिया। हालाँकि एस.आर.एफ.टी.आई. ने केंद्र के लिए मास्टर योजना केवल अप्रैल 2014 में बनाई और सिविल कंसट्रक्शन वर्क्स (सीसीडब्ल्यू) एमआईवी को प्राक्कलन देने के लिए अपेक्षित भवन की सूची प्रदान किया। सीसीडब्ल्यू ने (सितंबर 2014) में ₹57.69 लाख के कुल निर्माण लागत का प्राक्कलन दिया। चूंकि प्राक्कलन स्वीकृत राशि से काफी अधिक था, एस.आर.एफ.टी.आई. ने छः पाठ्यक्रमों के स्थान पर तीन पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लेते हुए एक छोटा टीवी स्टूडियो और तीन शैक्षणिक विभाग का निर्माण करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2014)। हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों कार्य आरंभ नहीं हो सके (अक्तूबर 2015)। एस.आर.एफ.टी.आई. ने (दिसम्बर 2015) में बताया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद और बुनियादी सुविधा, संकाय सदस्य और अन्य संपदा की उपलब्धता के बाद ही पूरी तरह से टेलीविजन पाठ्यक्रम आरंभ किया जा सकता है।

11.3.3.3 कैप्टिव टीवी प्रोजेक्ट

एस.आर.एफ.टी.आई. ने छात्रों को ऑनलाईन प्रसारण का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को केप्टिव टीवी[4] स्थापित करने के लिए नियुक्त किया (मार्च 2015)। हालाँकि

[4] स्थानीय स्तर पर विशेष दर्शकों को लक्ष्य करने की एक नई अवधारणा।

एस.आर.एफ.टी.आई. केप्टिव टीवी प्रोजेक्ट हेतु समर्पित टीवी स्टूडियो देने में असफल रहा। परिणामस्वरूप केप्टिव टीवी उपकरण जिसपर ₹55.04 लाख व्यय हुआ, का प्रयोग वर्ष 2011 तक सिनेमा दिखाने के लिए किया जाता था और बाद में इसका उपयोग प्रोग्राम और छात्रों की हैंडस-ऑन टैनिंग में किया गया। इस प्रकार, इसका वास्तविक उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हो सका (दिसंबर 2015)। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि केप्टिव टीवी का उपयोग शैक्षणिक परियोजना विकास के साथ साथ प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। लेकिन तथ्य यह है कि केप्टिव टीवी परियोजना को अपने वास्तविक उद्देश्य ऑन लाइन प्रसारण हेतु उपयोग नही किया जा सका।

11.3.4 अपर्याप्त शिक्षण

उप-नियम के अनुसार, लेक्चर/ट्यूटोरियल्स/प्रैक्टिकल का शैक्षणिक भार प्रति सप्ताह सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए क्रमश: 8 और 16 घंटे से कम नहीं था। जुलाई 2011 में एस.आर.एफ.टी.आई. ने लेक्चरर और सहायक प्रोफेसर के पद का पदनाम बदलकर क्रमश: सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कर दिया। अभिलेखों[5] के नमूना जांच से पता चला है कि अधिकांशत: सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने उप नियम में निर्धारित प्रति सप्ताह के भार को प्राप्त नहीं किया जैसा कि नीचे दिया गया है:-

- नवंबर 2012 से मार्च 2013[6] तक दस में से आठ सहायक प्रोफेसर द्वारा कक्षा में पढ़ाने का प्रति सप्ताह औसत 0.93 और 14.9 घंटा के बीच था जबकि चार में से एक एसोसिएट प्रोफेसर का 6.4 घंटा प्रति सप्ताह था (बाकी सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने न्यूनतम शिक्षण घंटे को पूरा किया)।

---

[5] प्रथम सेमेस्टर + तीसरा सेमेस्टर प्रत्येक क्योंकि ये सेमेस्टर में ही अधिकतम शिक्षण दवाब रहता है।

[6] ग्यारहवीं बैच का पहला सेमेस्टर और 10 वीं बैच का तीसरा सेमेस्टर नवंबर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान किया गया।

- नवंबर 2013 से मई 2014[7] की अवधि के बीच, सभी सहायक प्रोफेसर के द्वारा ली गई औसत कक्षा प्रति सप्ताह 0.5 और 7.08 घंटे के बीच थी जबकि चार में से तीन एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा ली गई कक्षा प्रति सप्ताह 0.07 और 1.94 घंटे थी (एक एसोसिएट प्रोफेसर ने पढ़ाने के घंटे का न्यूनतम लक्ष्य पूरा किया)।
- दिसंबर 2014 से जुलाई 2015[8] में एक सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने कोई कक्षा नहीं ली बाकी बचे 10 सहायक प्रोफेसर द्वारा ली गई औसत कक्षा प्रति सप्ताह 2.68 और 10.90 घंटे के बीच थी जबकि शेष तीन एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा ली गई कक्षा 5.20 और 5.76 घंटे प्रति सप्ताह थी।

एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा शिक्षण घंटे कि गणना व्यवहारिक पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग को ध्यान में रखे बिना की गई जिसमें प्रत्येक बैच की विशेषज्ञता 24 घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने एस.आर.एफ.टी.आई. द्वारा तैयार संकायों की शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि के आधार पर शिक्षण घंटे की गणना की थी जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों सत्र शामिल है।

11.3.5 मूल्यांकन में तदर्थ व्यवस्था

एस.आर.एफ.टी.आई. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए पाँच अध्ययन के विषयों में डिप्लोमा का संचालन करता है। पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि (छ: सेमेस्टर) का है। एस.आर.एफ.टी.आई. छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर करता है। इसके बाद उत्तीर्ण छात्रों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाता है। उप-नियम के अनुसार, एक विद्यार्थी को अगला

---

[7] बारहवीं बैच का पहला सेमेस्टर और 11वीं बैच का तीसरा सेमेस्टर नवंबर 2013 से मई 2014 की अवधि के दौरान किया गया।

[8] दिसंबर 2014 से जुलाई 2015 के अवधि के दौरान बारहवीं बैच का तीसरा सेमेस्टर किया गया। 2014-15 के दौरान तेरहवें बैच के लिए प्रवेश नहीं हुआ इसलिए इस अवधि के दौरान तेरहवाँ बैच के लिए कोई पहला सेमेस्टर नहीं हुआ।

उच्च स्तर में पदोन्नत करने के लिए लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक तथा प्रत्येक व्यवहारिक अभ्यास/असाइनमेंट/सेशन्स में न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होते है। लेखापरीक्षा ने विद्यार्थियों के मूल्यांकन में अनियमितताएं पाईं जो नीचे वर्णित हैं:-

- दसवें बैच की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में (सिनेमाटोग्राफी) में 11 छात्रों ने निर्धारित उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने इन छात्रों को पदोन्नत कर दिया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने कहा कि श्वेत/श्याम सिनेमाटोग्राफी के प्रेजेंटेशन का अंक भी सैद्धांतिक पत्र के साथ ध्यान में रखा गया। यह उप-नियम का उल्लंघन है।

- ग्यारहवीं बैच (संपादन) के चौथे सेमेस्टर परीक्षा में छः छात्रों ने प्रैक्टिकल में 50 निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए। एस.आर.एफ.टी.आई. ने इन छात्रों को पदोन्नत कर दिया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने बताया कि सभी विषय (कार्यशाला, भागीदारी, प्रैक्टिकल) को एक विषय के रूप में लिया गया और छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये। स्पष्टतः ऐसा करके, एस.आर.एफ.टी.आई. ने उप-नियम के उल्लंघन में प्रैक्टिकल में कम अंक पाने को छिपा दिया।

- लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एक छात्र ने सत्रीय पत्र नहीं जमा कराया और एक अन्य ने कार्यशाला में भाग नहीं लिया था। उन छात्रों ने विषय में शून्य अंक प्राप्त किया पर एस.आर.एफ.टी.आई. ने इन छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया। इस प्रकार के छात्रों का प्रमोशन उत्तीर्ण छात्रों की गुणवत्ता को दर्शाता है।

- जनवरी 2013 में, ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिजाइन विभाग ने समेकित पाठ्यक्रम के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया। अप्रैल, 2013 में परीक्षा समन्वयक ने छात्रों के अंक पत्र को ट्यूटोरियल विभाग को अग्रेषित किया लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.आर.एफ.टी.आई. ने तीन छात्रों को विभाग द्वारा प्रदत्त की तुलना में अधिक अंक प्रदान किये। एस.आर.एफ.टी.आई. (दिसंबर 2015) लेखापरीक्षा के विचार से सहमत तो था पर उन्होंने भूल-सुधार नहीं किया।

- जनवरी 2014 में, एस.आर.एफ.टी.आई. ने 9वीं बैच के छात्र जो निर्देशन तथा पटकथा लेखन में पढ़ रहे थे उनमें द्वितीय वर्ष का परिणाम प्रकाशित किया। एस.आर.एफ.टी.आई. ने एक छात्र का वास्तविक प्राप्त अंक 53.33 प्रतिशत के बदले 60.95 प्रतिशत गणना किया। एस.आर.एफ.टी.आई. लेखापरीक्षा के विचार से सहमत था (दिसंबर 2015) परन्तु भूल-सुधार नहीं किया।
- नवीं बैच के द्वितीय वर्ष के लिए एकेडमिक समय सारणी के परिणाम हेतु तिथि कार्यक्रम 4 जुलाई 2012 तय किया गया बाद में परिणाम घोषित करने की तिथि 3 जून 2013 को किया गया। लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि छायांकन विभाग के प्राध्यापक ने सत्रीय तथा सैद्धांतिक पत्र को श्री नीरज मोहन सहाय, सहायक प्राध्यापक को 2012 में पुनर्मूल्यांकन के लिए सौंपा। तथापि ये सामग्रियां श्री सहाय के अभिरक्षा से गायब हो गई। एस.आर.एफ.टी.आई. ने प्रारंभिक मूल्यांकन जो कि छायांकन विभाग द्वारा 30 नवंबर 2013 को किया गया था उसी आधार पर परिणाम घोषित कर दिया।
- विभिन्न बैचों (3 से 8वीं बैच) के 203 छात्रों द्वारा किए गए डिप्लोमा फिल्मों के मूल्यांकन से संबंधित अभिलेखों की जांच यह दर्शाता है कि 103 छात्र 'संतोषजनक' तथा इससे ऊपर के ग्रेड पाए हैं। शेष 100 छात्र संतोषजनक से नीचे ग्रेड प्राप्त किए हैं। छात्रों द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि एस.आर.एफ.टी.आई. प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता है। एस.आर.एफ.टी.आई. ने यह बताया कि मामले को एकेडमिक परिषद की बैठक में चर्चा के लिए रखा जा सकता है।

इस प्रकार, एस.आर.एफ.टी.आई. अपने वर्णित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही जिसमें इन्होंने नये पाठ्यक्रम जैसे फिल्म एवं टेलिविजन के लिए पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम, टेलिविजन में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा तथा फिल्मों में अल्पावधि के नियमित पाठ्यक्रम को अपने 20 वर्षों की स्थापना के बाद भी शुरू कर पाने में असफल रहा है। छात्रों का दो बैच छूट गया तथा बहुत सारे सीट अनुचित नियोजन की वजह से खाली रह गए। एस.आर.एफ.टी.आई. ने एकेडमिक गतिविधियों को भी ढंग से निष्पादित नहीं किया जैसा कि किसी भी

बैच ने निर्धारित समय में पूरा नहीं किया। शिक्षकों द्वारा शिक्षण में कम समय देना तथा छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में अंतराल के कई उदाहरण लेखापरीक्षा में पाये गये।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।